नियमानुसार विभागीय अधिसूचना क0 9(32)राज–6 / 2009 / 4 दिनांक 29.1.2010 का हिन्दी अनुवाद

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

सं.एफ. 9 (32) रेव–6 / 2009 / 4 जयपुर, दिनांकः–29.1.2010

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 90–क के साथ पठित धारा 261 की उप–धारा (2) के खण्ड (xi–क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 का संशोधन – राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम 14 प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"**14. संपरिवर्तन के पश्चात भूमि का उपयोग.**–किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कोई कृषि भूमि संपरिवर्तन आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि, या ऐसी दीर्घ कालावधि जो राज्य सरकार परियोजना की प्रकृति और परियोजना के पूरा होने में किये गये अपेक्षित विनिधान की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विहित करे, के भीतर ऐसे संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेंगी, इसमें विफल रहने पर संपरिवर्तन आदेश प्रत्याहृत कर लिया जायेगा और जमा करायी गयी संपरिवर्तन प्रभारों की रकम राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी :

परन्तु दो वर्ष की उक्त कालावधि या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा विहित कालावधि, राज्य सरकार द्वारा आगे और बढ़ायी जा सकेगी यदि राज्य सरकार का उन कारणों जिनसे विहित कालावधि के भीतर भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका है, के बारे में समाधान हो जाता है :

परन्तु यह और कि संपरिवर्तन आदेश के प्रत्याहरण और संपरिवर्तन प्रभारों के समपहरण का कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

ह0
(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव